<u>पत्र सूचना शाखा</u>

<u>सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0</u>

राज्यपाल से मिला रिक्शा चालक कल्याण परिषद का प्रतिनिधि मण्डल
असंगठित श्रम आयोग की स्थापना मांग

लखनऊ: 24 जुलाई, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक से आज राजभवन में उत्तर प्रदेश रिक्शा चालक कल्याण परिषद के अध्यक्ष एवं श्रमिक नेता, श्री इरशाद अली के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने भेंट की तथा रिक्शा चालकों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों-मजदूरों की समस्याओं के निराकरण के लिये उत्तर प्रदेश में एक असंगठित श्रम आयोग की स्थापना की बात कही। राज्यपाल ने प्रतिनिधि मण्डल की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए आश्वास्त किया कि उनकी जायज मांगों पर विचार करने हेतु वे प्रदेश सरकार से बात करेंगे।

इसके साथ ही प्रतिनिधि मण्डल ने राज्यपाल को दिये गये प्रत्यावेदन में 15 से 20 वर्ष पुराने रिक्शा चालकों को उनके लाइसेंस के आधार पर वृद्धापेंशन की सुविधा दिये जाने, मोटर चालकों की भांति रिक्शा चालकों के लाइसेंस का नवीनीकरण कराये जाने, आकस्मिक दुर्घटना के समय मुफ्त बीमा योजना को लागू कराये जाने तथा रिक्शा चालकों को भवन निर्माण मजदूरों तथा सन्निर्माण मजदूरों की श्रेणी में नामित कर उनको परिचय पत्र जारी किये जाने और उनको उसका लाभ दिलाये जाने की मांग की।